न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–65/16

मनफूल पुत्र श्री रामरख जाति बि नोई निवासी चक 23 केवाईडी (बी) तह. खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।

.....वादी

बनाम

बनवारी पुत्र श्री रामरख जाति बि नोई निवासी चक 23 केवाईडी (बी) तह. खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।

..... प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी. एक्ट व 151 सीपीसी एवं जनरल कोलोनी कंडी ान नियम 8 (2)

–: निर्णय :– **दिनांक :–**

मुकदमे का ब्यौरा इस प्रकार है चक 23 केवाईडी (बी) के मुरब्बा नंबर 79/11 के किला नंबर 13 से 17 वादी मनफूल पुत्र राम रख के नाम दर्ज है, इसी मुरब्बा के किला नंबर 1 से 10 और 12 प्रतिवादी बनवारी पुत्र रामरख के नाम दर्ज है। इस मुरब्बे की उत्तरी दिशा से कटान शुदा रास्ता गुजर रहा है। वादी द्वारा इस रास्ते से अपने खेत तक पहुंचने के लिए इसी मुरब्बा नंबर के किला संख्या 5 और 6 में से एक–एक बिस्वा रास्ता मांगा गया है।

प्रतिवादी द्वारा उज्र पेश किया गया है किला नंबर 5 और 6 में से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है क्योंकि किला नंबर 5 में प्रतिवादी ने डिग्गी बनाई हुई है। प्रतिवादी का यह भी कहना है उसने किला नंबर 1 और 10 में एक एक बिस्वा भूमि रास्ते के लिए छोड़ रखी है।

दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर किया गया। पटवारी द्वारा पेश किए गए नजरी नक्शे पर भी गौर किया गया।

न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वादी के खेत तक पहुंचने के लिए तीन रास्ते हो सकते हैं।

1. किला नंबर 5 और 6 में से होकर
2. किला नंबर 1,10, 9 और 8 में से होकर
2. किला नंबर 3 और 8 में से होकर

प्रथम विकल्प में मुद्दा यह है कि किला नंबर 5 में प्रतिवादी द्वारा डिग्गी बनवाई गई है इसलिए पत्थर लाइन के साथ रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। अन्य दो विकल्पों के साथ समस्या यह है कि इससे प्रतिवादी के खेत के दो टुकड़े हो जाते हैं हालांकि विकल्प नंबर 3 में वर्णित किया गया रास्ता सबसे छोटा है। यहां यह भी गौरतलब है की विकल्प संख्या दो में वर्णित रास्ते में भी प्रतिवादी द्वारा केवल किला नंबर 1 व 10 में रास्ता छोड़ा गया है। इस रास्ते से होकर वादी के खेत तक नहीं पहुंचा जा सकता है।

इसलिए न्यायालय का मत है की प्रथम विकल्प ही सबसे जायज है। किला नंबर 5 में डिग्गी की पश्चिमी और दक्षिणी सीमा के साथ साथ और इससे आगे किला नंबर 5 और 6 की पूर्वी सीमा के साथ–साथ 16 फिट रास्ता दर्ज किया जाना उचित है।

तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त रकबा की डीएलसी की दुगनी कीमत वादी द्वारा राजकोष में जमा करवाए जाने पर उक्त रकबे का अमल बरामद राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के तौर पर करें।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर बनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:38:16 IST
Reason: SelfAttested

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)